प्रारुप–6

प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट का प्रारूप

आज दिनाँक 29.10.2021 को न्यायालय सिविल जज(जू0डि0) रानीखेत, अल्मोड़ा के भवनों का निर्माण हेतु स्थल निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री ...., राजस्व विभाग की ओर से श्री देवेन्द्र सिंह बिष्ट ......राजस्व निरीक्षक , प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री ललित मोहन ...... अन्य दावेदारों की ओर से कोई नहीं तथा स्थानीय प्रतिनिधि के रुप में .. ..द्वारा प्रश्नगत परियोजना को बनाने हेतु सर्वश्रेष्ठ स्थल/समरेखन के चयन तथा अन्य वैकल्पिक स्थलों/समरेखनो के चयन हेतु भाग लिया गया

संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि सामाजिक आवश्यकता, परिस्थितिक आवश्यकता, आर्थिक मितव्यता तथा तकनीकी आवश्यकता के दृष्टि से जो समरेखन/स्थल सर्वथा उपयुक्त पाया गया है उस स्थल के चयन में कुल **शून्य हे0** नाप भूमि, **शून्य हे0** सिविल भूमि, **शून्रू हे0** वन पंचायत भूमि एवं **0.98 हे0** आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी जिनमें से कुल **0.980 हे0** वन भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी। । इस चुने गये स्थल पर लगभग 41 वृक्ष चीड़ प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे, जिनमें से शून्य बांज प्रजाति के प्रभावित होंगे ।

इस समरेखण के तुलना में जो वैकल्पिक स्थल देखे गये उस स्थल के चयन में कुल शून्य हे0 नाप भूमि शून्य **हे0** सिविल भूमि, **शून्य हे0** वन पंचायत वन भूमि, **0.98 हे0** आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 0.98 हे0 वन भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी। इस समरेखण पर/चुने गये स्थल पर लगभग **440** वृक्ष चीड़ प्रजाति तथा **12** वृक्ष देवदार प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे, जिनमें से शून्य वृक्ष बांज प्रजाति के वृक्ष प्रभावित हो रहे है।

अतः परियोजना के निर्माण हेतु चयनित विकल्प संख्या प्रथम के वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक एवं उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है तथा इस चुने गये वन भूमि की मांग न्यूनतम है।

चयनित उपयुक्त स्थल आरक्षित वन चिलियानौला के कक्ष संख्या 7 में स्थित है। इस कक्ष की वर्तमान वन आच्छादन ....0.4.... है एंव इस कक्ष में **चीड़** प्रजाति के वन है। चुने गये स्थल का GPS मान 29^0 39' 23.7" N 79^0 24' 47.4" E, 29^0 39' 24.61" N 79^0 24' 50.84" E, 29^0 39' 21.55" N 79^0 24' 52.58" E तथा 29^0 39' 20.78" N 79^0 24' 49.20" E है।

चयनित समरेखन में पौधों को अन्य स्थानन्तरित (translocate) नहीं किया जाना है।

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण किसी राश्टीृय पार्क/वन्य जीव अभ्यारहण्य का हिस्सा नही है ।

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण के चयन से ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही होगा ।

इस चयनित पर भवन के निर्माण के दौरान जो मलुवा उत्सर्जित होगा उसके निस्तारण स्थल सुधार में समायोजित किया जयेगा।

हस्ताक्षर (प्रयोक्ता एजेन्सी) प्रतिनिधि	हस्ताक्षर (वन विभाग) प्रतिनिधि	हस्ताक्षर (राजस्व विभाग) प्रतिनिधि	हस्ताक्षर (जन प्रतिनिधि) प्रतिनिधि

वन क्षेत्राधिकारी रानीखेत रेंज, अल्मोड़ा वन प्रभाग

राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र ... तहसील रानीखेत (अल्मोड़ा)

उपप्रभागीय वनाधिकारी रानीखेत अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

परगना मजिस्ट्रेट रानीखेत

तहसीलदार रानीखेत जनपद अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड)

संयुक्त मजिस्ट्रेट रानीखेत

जिलाधिकारी अल्मोड़ा।

प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

Lata/D/mahesh sir/ FRA New(Vinod kumar)